HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15295/2026
CNR: RJHC020938892026 | URN: CRLMB / 28257U / 2026

Nikhil Luthra S/o Shri Vinod Kumar, Aged About 28 Years, R/o 49, Second Floor, Block M, Street Number 3, Shastri Nagar, Najabgarh, Delhi. Present R/o Anshu House, Plot Number 8/8, Block B, New Roshanpura, Chawala, Delhi, Surat Rohilla, North Delhi, Delhi. (Accused Petitioner Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhuvnesh Kumar Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Sagar Sharma

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना साईबर पुलिस स्टेशन (एटीएस एवं एसओजी) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 66सी व 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन चार व्यक्तियों पर ठगी करने के आक्षेप हैं, उनमें प्रार्थी का नाम नहीं है और अनुसंधान के उपरांत भी प्रार्थी का उक्त व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई संबंध होना प्रकट नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार से उक्त व्यक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी पर केवल यह आक्षेप है कि

परिवादी द्वारा जमा करवाई गई 62,00,000/– रुपये की राशि में से 16–16 लाख रुपये की राशि दो बार में टेरापल्स प्रा0 लि0 कंपनी के खाते में जमा हुई है, जिसमें प्रार्थी–अभियुक्त द्वितीय डायरेक्टर के पद पर है। उनका तर्क है कि उक्त राशि आगे प्रार्थी के अधिकार (authority) में अंतरित हुई हो, ऐसा भी अनुसंधान से प्रकट नहीं हो रहा है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य है कि उक्त खाते में राशि प्रार्थी द्वारा मंगवाई गई हो। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के तत्व (ingredients) प्रकट नहीं हो रहे हैं और न ही आईटी एक्ट का अपराध बन रहा है। प्रार्थी दिनांक 15.07.2026 से अभिरक्षा में है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व के जो प्रकरण संस्थित हैं, उनमें से केवल एक प्रकरण साईबर ठगी से संबंधित है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि यह प्रकरण लगभग 62,00,000/– रुपये की साईबर ठगी से संबंधित है तथा 32,00,000/– रुपये की राशि जिस कंपनी के खाते में गई है, प्रार्थी उस कंपनी में द्वितीय डायरेक्टर है और डायरेक्टर ही कंपनी के लिए जिम्मेदार है। उनका तर्क है कि प्रार्थी इसी प्रकृति के अपराधों के लिए अभ्यस्त है और उक्त खाते के संबंध में समन्वय पोर्टल पर लगभग 11 शिकायतें दर्ज हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का इसी प्रकृति का एक आपराधिक प्रकरण तथा चार अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 66सी व 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण लगभग 62,00,000/– रुपये की राशि के संबंध में हुई साईबर ठगी से संबंधित है। अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि परिवादी के एक्सिस बैंक के खाता संख्या 910010024795857 से दिनांक 16.01.2025 को दो बार में 16–16 लाख रुपये, कुल 32,00,000/– रुपये की राशि आरटीजीएस के माध्यम से आईडीएफसी बैंक खाता संख्या 10211939060 में अंतरित हुई है तथा उक्त खाता प्रार्थी की कंपनी टेरापल्स प्रा0 लि0 के

नाम दर्ज है, जिसमें प्रार्थी–अभियुक्त द्वितीय डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त कंपनी के आईडीएफसी बैंक खाते के संबंध में समन्वय पोर्टल पर कुल 11 शिकायतें तथा एयू स्मोल फाईनेंस बैंक खाता संख्या 2502265765120941 के संबंध में कुल 18 शिकायतें दर्ज हैं।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से एक प्रकरण इसी प्रकृति का तथा अन्य तीन प्रकरण आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/82/NIMIT GOYAL